नए साँचे में जाति

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **26 अगस्त, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

ओबीसी केन्द्र स्तर पर अंग्रेजी शब्द अम्ब्रेला की एक श्रेणी है, जो लगभग 5,000 जातियों को अपने अन्दर समाहित करती हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के विभिन्न चरणों में स्थित हैं। साथ ही यह कहना गलत नहीं है कि ओबीसी सूची में बेहतर रूप से सशक्त जातियों ने अन्य को आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने से दूर कर दिया है।

पहली केंद्रीय ओबीसी सूची, मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980) और विभिन्न राज्य सूचियों में ओबीसी की सूची के बीच एक समझौता थी, जो तब अस्तित्व में आया, जब वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था।

अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में उपश्रेणियों के सृजन का पता लगाने के लिए एक आयोग स्थापित करने का केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय सही दिशा में बढाया गया एक कदम है। यह केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के बारे में ओबीसी में शिकायतों को संबोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग और एक संसदीय स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ एक नयी पहल है। कई राज्यों के ओबीसी सूचियों में उपश्रेणियां और कई प्रणालियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा, ओबीसी सूची में उप-श्रेणी बनाने की कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हैं, इंदिरा साहनी फैसले (1992) का कहना है कि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी के वर्गीकरण के लिए कोई संवैधानिक रोक मौजूद नहीं है।

ओबीसी केन्द्र स्तर पर अंग्रेजी शब्द अम्ब्रेला का एक श्रेणी है, जो लगभग 5,000 जातियों को अपने अन्दर समाहित करती हैं जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के विभिन्न चरणों में स्थित हैं। साथ ही यह कहना गलत नहीं है कि ओबीसी सूची में बेहतर रूप से सशक्त जातियों ने अन्य को आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने से दूर कर दिया है। उपश्रेणियों का निर्माण समस्या को संबोधित करने में कुछ रास्ता मिल सकता है। हालांकि, कानून द्वारा जरूरी उप-वर्गीकरण को व्यवस्थित तरीके से और आय, शिक्षा, रोजगार आदि के बारे में आवश्यक आंकड़ों की कठोर जांच के बाद किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को विभिन्न दबाव समूहों से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि यह विचार एक राजनैतिक रूप से भरा विषय है।

पहली केंद्रीय ओबीसी सूची मंडल आयोग की रिपोर्ट (1980) में ओबीसी की सूची और विभिन्न राज्य की सूची के बीच एक समझौता थी, जब वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए, केवल दोनों सूचियों में सामान्य जातियों में कटौती की गई। इसके बाद ही केंद्र ने सूची का विस्तार किया है, जिसमें राजनीतिक अपेक्षाओं को पूरा करने और विवादों को निरुपित करने के लिए जातियों को शामिल किया गया। आरक्षण के लिए ''क्रीमी लेयर'' अवधारणा की विफलता को एक सबक के रूप में अपनाना चाहिए अर्थात् प्रभावशाली वर्गों के दबाव में सरकारे, अक्सर आय सीमा को बढ़ा देती है।

जैसा कि मंडल आयोग के सिफारिशों के बाद हुआ, ओबीसी उपश्रेणियों के निर्माण करने से ओबीसी की राजनीति का पुनर्निर्माण हुआ और कुछ प्रमुख जातियों की नेतृत्व की भूमिका को खत्म कर दिया गया। चुनावी राजनीति ने हमेशा भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां लिखी हैं और यह तब तक रहेगा जब तक सभी के लिए अवसरों में पर्याप्त वृद्धि न हो। आरक्षण नीति कुछ बिंदु पर इसके परिवर्तनशील संभावनाओं से समाप्त हो जाएगी। इसका संकेत पहले से ही जाट, पटेल और मराठा के विरोध से समझा जा सकता हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो केक, निश्चित रूप से, समान रूप से कटनी चाहिए और सब में बाँटनी चाहिए, इसके साथ इसका बड़ा होना भी जरूरी है।

इससे संबंधित तथ्य

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़े वर्गों (Other Backward Classes,OBCs) के उप-श्रेणीकरण (sub, categorisation) के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- जानकारों के अनुसार सरकार के इस फैसले का व्यापक राजनीतिक असर होगा।
- वे इस आयोग के गठन को मंडल आयोग का दूसरा भाग भी मान रहे हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग उप-श्रेणी जाँच आयोग

- इस नये आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणी की जाँच आयोग के रूप में जाना जाएगा।
- आयोग को 12 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

आयोग का कार्य

- केंद्रीय अन्य 2 पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की मात्रा की जाँच करना।
- पिछड़े वर्गों के भीतर उप-श्रेणीकरण हेतु क्रियाविधि, मानदंड मानकों एवं पैरा-मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना; तथा
- अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों/समुदायों/उप-जातियों/पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणी में श्रेणीबद्ध करने की वायद आरंभ करना है।
- कैबिनेट ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिये क्रीमी-लेयर की उच्चतम सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी है। फिलहाल केंद्र सरकार की नौकरियों के लिये यह सीमा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है।
- सरकार का कहना है कि ओबीसी के अंदर उप-वर्गीकरण बनाने से अधिक से अधिक जरूरतमंद जातियों को आरक्षण का फायदा मिल सकेगा।
- हालाँकि देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार का सरकार का कोई इरादा नहीं है और अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से भी सरकार ने इनकार किया है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में देश के नौ राज्यों बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के उप-वर्गीकरण की व्ययवस्था है।
- देश की संपूर्ण जनसँख्या में अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या 41% से 52% है।
- जानकारों के अनुसार सरकार के इस फैसले का व्यापक राजनीतिक असर होगा। वे इसे मंडल आयोग का दूसरा भाग भी बता रहे हैं। इसे उत्तर प्रदेश के फार्मूले पर आगे चलने का संदेश भी माना जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा से निपटने के लिये सामाजिक इंजीनियरिंग की थी और गैर-यादव समेत सभी पिछड़ी जातियों को एकजुट करने में पूरी ताकत लगाई थी। इसमें पार्टी को भरपूर सफलता भी मिली थी।
- इस सफलता से उत्साहित होकर भाजपा उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में बड़ा राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में है।
- उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अधिकतर बड़े राज्यों में पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे अधिक है। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश के फार्मूले को अब देश के सभी राज्यों और 2019 के आम चुनाव में आजमाना चाहती है।
- मोदी सरकार का दावा है कि ओबीसी में अलग श्रेणी बनाने का लाभ सभी जातियों को मिलेगा। हर जाति को नौकरियों में हिस्सा मिलेगा।
- मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण मिलता है, लेकिन पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों में मात्र 12 फीसदी ओबीसी हैं। इनमें भी अधिकांश लाभ इनकी मजबूत जातियों को ही मिला है।
- अत: अब सरकार ओबीसी को 3 श्रेणियों में बाँटेगी। तीनों के बीच 27 फीसदी के आरक्षण को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से बाँटा जाएगा।

राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग

- देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की आवाज सुनने के लिये अब पहली बार संवैधानिक व्यवस्था होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिये ''राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग'' के गठन को मंजूरी दे दी है।
- नया आयोग पिछड़े वर्ग की अपने स्तर से पहचान भी करेगा, जिसे मानना सरकार के लिये बाध्यकारी होगा।
- देश में पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिये केंद्र सरकार ने यह एक बड़ा कदम उठाया है।
- इसका नाम राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग होगा। साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा हासिल होगा। इसके लिये संसद में जल्दी ही संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। यह विभिन्न वर्गों की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने की मांग पर भी विचार करेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा।
- पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने के लिये संसद की स्वीकृति लेने संबंधी अनुच्छेद 342(ए) जोड़ा जाएगा। यह भी तय किया गया है कि आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी।

वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति

- वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। यह केंद्र सरकार के सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलने वाला वैधानिक आयोग है। 1993 में संसद में पारित कानून के तहत मौजूदा आयोग का गठन किया गया था।
- यह एक वैधानिक संस्था है। इसके तहत सरकार के स्तर पर ही फैसले होते हैं।
- आयोग का एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- इसका काम किसी वर्ग को पिछड़ों की सूची में शामिल किये जाने के अनुरोधों की जाँच करना है। आयोग केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देता है, जो उसे उचित लगता है।

संभावित प्रश्न

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे पर एक आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद इन श्रेणियों में शामिल हर जाति अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ लेने का दावा पेश करेगी। ऐसे में सबको संतुष्ट करना सरकार के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती होगी। चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322